न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/108/2025	2025/88	06.03.2025	28.05.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) थानागाजी, जिला अलवर राज०। —प्रार्थी

बनाम

1. मूला पुत्र छीतर कौम गुर्जर सा0 कोला का बास तहसील थानागाजी, जिला अलवर। —अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू—आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः— —वकील प्रार्थी

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

02— अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

तहसीलदार थानागजी ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम कोला का बास तहसील थानागाजी, जिला अलवर की आराजी खसरा न0 331 रकबा 0.04 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय थानागाजी के आदेश दिनांक 08.12.1978 के द्वारा जारी आवंटन आदेश से मूला पुत्र छीतर कौम गुर्जर सा0 कोला का बास तहसील थानागाजी को आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.04 है0 भूमि आवंटित की गई थी। जिसका नामान्तकरण संख्या 45 स्वीकृति दिनांक 12.12.1978 के द्वारा गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था।

उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2024 के अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर संवत 2032 से 2076 तक की गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है। पड़त भूमि दर्ज है तथा आवंटी द्वारा आदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। मौके पर कच्चा आवास बना हुआ है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो/नियमों की पालना न किये जाने के कारण उक्त आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान उक्त आवंटन निरस्त किये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का भूडियावास दिनांक 26.12.2024 उक्त विवादित आवंटित आराजी खसरा नंबर 331 रकबा 0.04 है0 किस्म गैर मुमकिन बाडा के आवंटी मूला पुत्र छीतर जाति गुर्जर सा0 देह गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक जॉच रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का भूडियावास अप्रार्थी/आवंटी मूला पुत्र छीतर द्वारा मौके पर कच्चा आवास निर्माण किया गया है तथा मौके पर आवंटी/अप्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 331 रकबा 0.04 है0 किस्म गै.मु.बाडा में आंदिनांक तक कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। आवंटित भूमि पर संवत 2032 से 2076 तक की गिरदावरी में कोई फसल का अंकन नहीं है एवं पड़त

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

भूमि दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटित खसरा नंबर 331 रकबा 0.04 है0 किस्म गै.मु. बाडा भूमि को अप्रार्थी/आवंटी द्वारा आवंटन के बाद से आदिनांक तक कृषि हेतु उपयोग में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2024 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी द्वारा अप्रार्थी मूला पुत्र छीतर कौम गुर्जर को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा नम्बर 331 रकबा 0.04 है0 किस्म गै.मु.बाडा भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 08.12.1978 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)